



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042025-262767
CG-DL-E-30042025-262767

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1893]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2025/ वैशाख 10, 1947

No. 1893]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2025/ VAISAKHA 10, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2025

का.आ. 1936 (अ). – केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 8ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क)	गृह मंत्री	-	अध्यक्ष ;
(ख)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	-	सदस्य ;
(ग)	वित्त मंत्री	-	सदस्य ;
(घ)	उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति) आयोग	-	सदस्य।

[फा.सं. 30-1/2025-आ. प्र. -II]

डॉ. राजेश गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2025.

S.O. 1936(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8B of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby constitutes a High Level Committee consisting of the following members, for the purposes of this Act, namely :-

- | | | | |
|-----|--|---|--------------|
| (a) | Home Minister | - | Chairperson; |
| (b) | Minister of Agriculture and Farmers Welfare | - | Member; |
| (c) | Finance Minister | - | Member; |
| (d) | Vice Chairman, National Institution for Transforming India Aayog | - | Member. |

[F.No.30-1/2025-DM-II]

Dr. RAJESH GUPTA, Jt. Secy.